

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-813210

विज्ञापन सं0-07/2023

दिनांक: 03/08/2023

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर के विभिन्न गैर-शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन फॉर्म/प्रपत्र प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in से दिनांक 05.08.2023 से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है-

विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन फॉर्म/प्रपत्र को (हस्तलिखित या कम्प्यूटरीकृत) संपूर्ण रूप से भरकर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर कार्यालय में पहुँचाने की अंतिम तिथि एवं समय	04.09.2023 (6:00 बजे अपराह्न)
---	-------------------------------

नोट- उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर देखा जा सकता है।

कुलपति के आदेशानुसार

03/08/2023
प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति)

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-813210

विज्ञापन सं०-07/2023

दिनांक: 03/08/2023

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर के विभिन्न गैर-शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन फॉर्म/प्रपत्र प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in से दिनांक 05.08.2023 से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है-

विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन फॉर्म/प्रपत्र को (हस्तलिखित या कम्प्यूटरीकृत) संपूर्ण रूप से भरकर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि एवं समय	04.09.2023 (6:00 बजे अपराह्न)
--	--------------------------------------

नोट- उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर देखा जा सकता है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय,

सबौर, भागलपुर-813210

विज्ञापन सं०-07 / 2023

दिनांक: 03 / 08 / 2023

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर के विभिन्न गैर-शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन फॉर्म/प्रपत्र प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in से दिनांक 05.08.2023 से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन भरने से संबंधित तिथि-

विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन प्रपत्र को (हस्तलिखित/कम्प्यूटरीकृत) संपूर्ण रूप से भरकर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि एवं समय	04.09.2023 (6:00 बजे अपराह्न)
---	-------------------------------

1. अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण:-

क्र० सं०	पद का नाम	कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या											कुल
		अनु०	अनु० महिला	अनु० जाति	अनु० जाति महिला	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	अ० पि० वर्ग	अ० पि० वर्ग महिला	पिछड़े वर्गों की महिला	अनु० जन जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1.	असिस्टेंट कम्पट्रोलर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
2.	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
3.	लैब अटेंडेंट	04	03	02	01	01	01	03	01	01	01	02	20
4.	फॉरेस्टर	02	01	01	-	01	-	01	-	-	-	-	06
5.	फोटोग्राफर एण्ड विडियो ग्राफर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
6.	पर्सनल असिस्टेंट	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	02
7.	स्टेनोग्राफर	02	02	01	01	01	-	01	01	-	-	01	10
8.	ऑफिस सुप्रीटेंडेंट	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
9.	निम्न वर्गीय लिपिक	03	02	01	01	01	01	01	01	-	-	01	12
10.	टेक्निकल असिस्टेंट	04	03	02	01	01	01	03	01	01	01	02	20
11.	फार्म मनेजर	02	01	01	-	01	-	01	01	-	-	01	08

नोट:- (क) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत उच्च पद चाहने वाले के लिए उम्र सीमा विश्वविद्यालय परिनियम की अध्याय IV की कंडिका 4.14 में निहित प्रावधान के आलोक में मान्य होगा।

(ख) विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताए बिना, किसी एक या सभी पदों के लिए प्रारंभ की गयी भर्ती प्रक्रिया को किसी प्रक्रम पर विज्ञापन या किसी चरण को रद्द किया जा सकता है।

चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय मुख्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।

2. शैक्षणिक योग्यता:- आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत् शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। आवेदन भरते समय आवेदक को आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा-

क्र० सं०	पदनाम	वेतन स्तर	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता
1.	असिस्टेंट कम्प्यूटोलर	वेतनस्तर-09 (वेतनबैंड 9300-34800 +4800 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	वाणिज्य/एम.बी.ए. में कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या इसके समतुल्य तथा अच्छा शैक्षणिक अभिलेख हो। (Good Academic Record plus Masters' Degree in commerce/MBA with at least 55% marks or its equivalent)
2.	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	वेतनस्तर-09 (वेतनबैंड 9300-34800 +4800 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांक या इसके समतुल्य यू.जी.सी.7 प्वाइंट स्केल में ग्रेड 'बी' के साथ अच्छा शैक्षणिक अभिलेख हो। (Good academic record plus Master's degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale)
3.	लैब अटेंडेंट	वेतनस्तर-01 (वेतनबैंड 5200-20200 +1800 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	दसवीं उत्तीर्ण तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है। महिला को साइकिल चलाने से छूट होगी।
4.	फॉरेस्टर	वेतनस्तर-05 (वेतनबैंड 5200-20200 2800 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय /काउन्सिल से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी।
5.	फोटोग्राफर एण्ड विडियोग्राफर	वेतनस्तर-06 (वेतनबैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	छायांकण/विडियोग्राफी में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।
6.	पर्सनल असिस्टेंट	वेतनस्तर-06 (वेतनबैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं आशुलेखन में अंग्रेजी में 100 शब्द एवं हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट। कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक।

7.	स्टेनोग्राफर	वेतनस्तर-04 (वेतनबैंड 5200-20200 2400 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक/समकक्ष डिग्री एवं आशुलिपिक की गति अंग्रेजी/हिन्दी की गति 80 शब्द प्रति मिनट।
8.	ऑफिस सुप्रीटेंडेंट	वेतनस्तर-07 (वेतनबैंड 9300-34800 +4600 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	सीधी नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सरकारी/अर्द्धसरकारी/लोक उपक्रम में प्रशासन/लेखा/अंकेक्षण/स्थापना कार्य में पी.बी. 1 5200-20200 ग्रेड पे 2400 में कम-से-कम आठ वर्ष का कार्यनुभव अथवा पी.बी. 1 5200-20200 ग्रेड पे 2800 में कम-से-कम पाँच वर्ष का कार्यनुभव अथवा पी.बी. 2 9300-34800 ग्रेड पे 4200/4600 में कम-से-कम तीन वर्ष का कार्यनुभव।
9.	निम्न वर्गीय लिपिक	वेतनस्तर-02 (वेतनबैंड 5200-20200 1900 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर डी.सी.ए. के साथ कम्प्यूटर टंकन में न्यूनतम प्रति मिनट गति हिन्दी में 25 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति टंकन दक्षता अनिवार्य होगा।
10.	टेक्निकल असिस्टेंट	वेतनस्तर-07 (वेतनबैंड 9300-34800 +4600 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक (कृषि/उद्यान/वानिकी) की डिग्री।
11.	फार्म मनेजर	वेतनस्तर-06 (वेतनबैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक (कृषि/उद्यान) की डिग्री।

3. आरक्षण:-

(i) आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)

(b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के

स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)

(v) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

(vi) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं-2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। या प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं-13062 दिनांक 12.10.2017 एवं ज्ञापांक 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with benchmark Disability) को रिक्तियों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10668 दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा -2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण

पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें आवेदन प्रपत्र के श्रुतिलेखक कॉलम में हाँ लिखना अनिवार्य होगा।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक -11687 दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक -16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(xiii) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

4. उम्र सीमा :-

(i) न्यूनतम आयु - आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 04.09.2023) को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष हो।

(ii) अधिकतम आयु- अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) -40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या-2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प संख्या-962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा

अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(vi) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के सूचीबद्ध आकस्मिक श्रमिकों हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष मान्य होगा।

(vii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. परीक्षा/चयन की पद्धति :-

(1) लैब अटेंडेंट/फॉरेस्टर/फोटोग्राफर एण्ड विडियोग्राफर/पर्सनल असिस्टेंट/स्टेनोग्राफर/ऑफिस सुप्रीटेंडेंट/निम्न वर्गीय लिपिक/टेक्निकल असिस्टेंट एवं फार्म मनेजर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच/परीक्षा लिखित (बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार) 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक कुल प्राप्तांक 100 अंको की ली जायेगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।

(2) पर्सनल असिस्टेंट/स्टेनोग्राफर एवं निम्न वर्गीय लिपिक पद हेतु कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा Qualifying प्रकृति की होगी।

(3) असिस्टेंट कम्पट्रोलर एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए 80 अंक शैक्षणिक स्तर एवं कार्यानुभव तथा 20 अंक साक्षात्कार कुल प्राप्तांक 100 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। शेष अन्य पदों के लिए मेधा सूची परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जायेगी।

(4) फॉरेस्टर पद हेतु अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical efficiency Test) ली जाएगी। जो की Qualifying Nature की होगी। फॉरेस्टर पद हेतु अन्य विस्तृत जानकारी अनुसूची-4 के रूप में संलग्न है।

(5) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(6) मेधा सूची में tie होने पर दिशा-निर्देश:

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

अन्तिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अहर्ताक:

परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 34 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत एवं समान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अहर्ताक 40 प्रतिशत होगा।

6. आवेदन शुल्क :-

(क) बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला (आरक्षित/अनारक्षित) एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रु 200/- (दो सौ रूपये) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रु 800/- (आठ सौ रूपये) का प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है।

(ख) अभ्यर्थी को **परीक्षा शुल्क का भुगतान SBI e-collect** के माध्यम से विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.bausabour.ac.in** पर दिये गये लिंक द्वारा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की विस्तृत जानकारी **अनुसूची -3** के रूप में संलग्न है।

भुगतान के बाद भुगतान की गई Payment Slip संबंधित जानकारी आवेदन फॉर्म/प्रपत्र में भरना अनिवार्य है। तदोपरान्त Payment Slip की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर निर्धारित पते पर निर्धारित तिथि के अंदर भेजना अनिवार्य होगा।

(ग) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है या उस पर किसी प्रकार संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. महत्वपूर्ण निर्देश/आवश्यक शर्तें :-

(1) आवेदन फॉर्म/प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र में स्वः अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर "पभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर-813210" पर निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पतायुक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

- (2) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (3) आवेदक द्वारा आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
- (4) पूर्व से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार को उनके वर्तमान नियोक्ता से एनओसी-सह-सतर्कता (NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE) प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। **अनुसूची -1** के रूप में निर्धारित प्रपत्र संलग्न की गई है।
- (5) आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनायें भरना आवश्यक है।
- (6) आवेदक आवेदन प्रपत्र www.bausabour.ac.in (**अनुसूची -2**) से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (7) चयनित उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्षों के लिए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बंध पत्र विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही तीन वर्षों की अवधि तक वाह्य रोजगार के लिए आवेदन का अग्रसारण विश्वविद्यालय नियम व परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।
- (8) किसी खण्ड या नियमों में किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता कि कमी के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का रहेगा।
- (9) विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के मामले में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, भागलपुर एवं उच्च न्यायालय, पटना तक सीमित होगा।
- (10) वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित फर्जी संस्थान से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री या डिप्लोमा या अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो अथवा फर्जी या गलत प्रमाण-पत्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।
- (11) उम्मीदवार को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- (12) नियुक्त उम्मीदवार की सेवा योजना समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (13) लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (14) किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन वर्तमान नियोक्ता (उचित माध्यम) के माध्यम से "प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर-813210" के पते पर दिनांक 19.09.2023 (6:00 बजे अपराह्न) तक निबंधित डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति

पर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेंगा।

(15) सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति निर्धारित अंतिम तिथि तक निबंधित डाक द्वारा निर्धारित पते पर पहुँचने की बाध्यता होगी।

(16) इस आवेदन के साथ संलग्न किसी प्रकार का सत्यापित प्रति वापस नहीं किया जायेगा।

(17) अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन प्रपत्र का छायाप्रति निश्चित रूप से अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर से प्रस्तुत कर सकें।

(18) अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूलरूप में साक्षात्कार एवं कौशल प्रशिक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूलरूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होगा।

(19) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की गई जानकारी एक निश्चित अवधि के लिए ही रहता है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी डाउनलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे। भर्ती के बीच में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त किसी भी आवेदन पर न तो विचार किया जाएगा और न ही जानकारी प्रदान की जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तथ्यात्मक जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

(20) किसी भी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए अधिनियम/परिनियम को पालन करने की बाध्यता होगी।

(21) अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय वेबसाईट पर विज्ञापन के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र प्रारूप हस्तलिखित स्वीकार नहीं किये जायेंगे परन्तु आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरने के लिए हस्तलिखित करने की मान्यता होगी। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, बिना निर्धारित आवेदन शुल्क भुगतान किये एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

कुलपति के आदेशानुसार

ह•/—

प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति)

एन0ओ0सी0-सह-सतर्कता (NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE) प्रमाण-पत्र

श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ.को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या दिनांक..... के तहत पदनामपर चयन होने के उपरांत उसे बिना किसी विलंब के कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ. के विरुद्ध कार्यवाही या तो लंबित है या विचाराधीन कोई सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक नहीं है।



बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय,
मुगेंर हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या 07 / 2023 दिनांक 03.08.2023
के लिए SBI e-collect के माध्यम से भुगतान हेतु प्रारूप

Steps for Online payment

First of all Go to Bihar Agricultural University Website www.bausabour.ac.in/SBICollect or directly open the link <https://onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=5628417> or scan below given QR code and open the link.



Step – 1 Select Payment category.

SBI

SB Collect

Payment Progress

Select Payee → Enter Payment Details → Verify Payment Details → Complete Payment → Print Receipt

BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY SABOUR, (BGP) NON OPERATIVE A/C | SABOUR SABOUR SABOUR, , Bhagalpur-813210

Enter Payment Details

Payment Category*:

--Select any Category--

Step – 2 Enter Payment Details (In this step candidate filled their information)



BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY SABOUR,(BGP) NON OPERATIVE A/C

Enter Payment Details

Payment Category * :

Resident of Bihar

Advertisement Number *

Post Applied for *

Name *

Father Name *

Gender *

--Select Gender--

DOB *

[dd/mm/yyyy]

Mobile Number *

Category *

--Select Category--

Email ID *

Application Fee *

--Select Application Fee--

Remarks :

- kindly choose your application fee according to your category else your application will be rejected

Enter Your Details

Individual Organisation / Corporate

Name * :

Date of Birth * :

[dd/mm/yyyy]



Mobile No * :

Email ID :

On successful completion of payment, you will receive the transaction reference number on this mobile number

On successful completion of payment, you will receive the transaction reference number on this email ID

I have read and agreed to the [Terms & Conditions](#)

Enter the text as shown in the image * :

Select one of the Captcha options *



Image Captcha

Audio Captcha

Back

Reset


Next

Step – 3

Payment Progress

Select Payee → Enter Payment Details → **Verify Payment Details** → Complete Payment → Print Receipt

Verify Payment Details

 **BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY SABOUR,(BGP) NON OPERATIVE A/C**


Payment Details

Payment Category :	Resident of Bihar	Total Amount : INR 800.00
Advertisement Number:	Advt No. 2/23	
Post Applied for:	Assistant	

Name:	Kamlesh
Father Name:	Vimlesh
Gender:	MALE
DOB:	20/07/2000
Mobile Number:	9122331122
Category:	UR
Email ID:	kamlesh@gmail.com
Application Fee:	800
Remarks :	NA

[Back](#) [Next](#)

Step – 4 Complete Payment (Choose any Payment option and complete the payment process)

Payment Progress**Net Banking**

 State Bank of India Bank Charges: 11.8 Click Here	 Other Banks Internet Banking Bank Charges: 17.7 Click Here
--	---

Card Payments

This payment mode is not available between 23:30 hours IST and 00:30 hours IST

 Rupay Debit Card Bank Charges: 0.0 Click Here	 Credit Cards Bank Charges: 12.98 Click Here	 Prepaid Cards (Incl Rupay PPC) Bank Charges: 12.98 Click Here
--	--	--

Other Payment Modes

 Branch Bank Charges: 59.0 Click Here	 NEFT/RTGS Bank Charges: 15.0 Click Here	<p><i>UPI is not available between 22:30 hours IST and 23:30 hours IST</i></p> UPI Bank Charges: 0.0 Click Here
---	--	---

Step – 5 Print Receipt (Print out payment receipt and send print copy along with application form)

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय,
मुर्गेर हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या 07 / 2023 दिनांक 03.08.2023
के लिए फॉरेस्टर पद हेतु शारीरिक मापदण्ड

(क) पुरुष अभ्यर्थी—

क्रमांक	शारीरिक प्रमाप	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	अन्य
1	न्यूनतम ऊँचाई	160 सेंटीमीटर	165 सेंटीमीटर
2	न्यूनतम सीना (बिना फुलाए)	79 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर
3	सीना का न्यूनतम फुलाव	05 सेंटीमीटर	05 सेंटीमीटर
4	दौड़	6 मिनट में 1600 मीटर	6 मिनट में 1600 मीटर

(क) महिला अभ्यर्थी—

क्रमांक	शारीरिक प्रमाप	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	अन्य
1	न्यूनतम ऊँचाई	160 सेंटीमीटर	165 सेंटीमीटर
2	दौड़	5 मिनट में 1000 मीटर	5 मिनट में 1000 मीटर